

अनुलग्नक - VIII
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना
पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र
(एक फसल एवं एक प्लॉट के लिए आवेदन पत्र)

1. आवेदक का नाम :													
2. उम्र - वर्ष में (आधार कार्ड के अनुसार)				मोबाइल नंबर									
3. आधार संख्या													
<small>(आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है साथ ही इसे पोर्टल पर भी अपलोड करना है।)</small>													
4. लिंग (कृपया टिक करें)			पुरुष		महिला		5. श्रेणी		सामान्य		अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.
6. आवेदक का पता : <small>(कृपया कोष्ठक में भरें)</small>			ग्राम :				पंचायत :						
			प्रखंड :				जिला :						
7. आवेदक का प्रकार <small>(कृपया टिक करें)</small>			रैयत				गैर-रैयत :						
8. आवेदक अगर रैयत हो तो निम्नलिखित सूचना अंकित करें :													
a) क्या आवेदक भारत सरकार के PM KISAN पोर्टल पर पूर्व से निर्बंधित है अथवा नहीं (कृपया टिक करें)									हाँ		नहीं		
b) अगर आवेदन PM KISAN पोर्टल पर पूर्व से निर्बंधित नहीं है तो कृपया ग्राम सभा एवं हल्का कर्मचारी से सत्यापित वंशावली संलग्न करें।													
c) भूमि का सर्वे खाता संख्या :													
d) प्लॉट संख्या :													
9. आवेदक अगर गैर-रैयत हो तो निम्नलिखित सूचना अंकित करें :													
a) रैयत कृषक का नाम जिसकी भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है :													
b) रैयत का आधार संख्या													
e) भूमि का सर्वे खाता संख्या :													
f) प्लॉट संख्या :													
10. फसल का नाम एवं फसल क्षेत्र की विवरणी जिसमें कृषि कार्य किया जा रहा है (केवल एक फसल के लिए)						एकड़				डिमिल			
11. फसल बुवाई / रोपनी की तिथि <small>(DD/MM/YYYY)</small>													
12. आवेदक की बैंक विवरणी : (कृपया केवल बचत खाता संख्या दें)													
a) बैंक खाता संख्या :													
b) IFSC कोड													
c) बैंक का नाम :													
<small>नोट:- आवेदक बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करेंगे एवं इसकी स्कैन प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।</small>													
आवेदक की स्व-घोषणा :													
मैं (आवेदक का नाम) घोषणा करता हूँ कि मैं झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना - 2020-21 के अंतर्गत सभी प्रावधानों से सहमत हूँ एवं मेरे द्वारा उपरोक्त अंकित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। यदि उपरोक्त अंकित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है एवं मैं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने का पात्र नहीं रहूँगा साथ ही सक्षम प्राधिकार के द्वारा मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।													

मुखिया / ग्राम प्रधान का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
दिनांक :

हल्का कर्मचारी / राजस्व कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक :

आवेदनक का हस्ताक्षर
दिनांक :